गन्ना किसान, सहकारी समितियाँ एवं राजनीति : उत्तर प्रदेश की कृषि चुनौतियों का एक विश्लेषण

डॉ0 अनूप कुमार सिंह
एसो0 प्रोफे0
समाजशास्त्र विभाग
दयानन्द एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कानपुर (उत्तर प्रदेश)

सुनील कुमार गुप्ता
शोधार्थी
समाजशास्त्र विभाग
दयानन्द एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कानपुर (उत्तर प्रदेश)

E-mail: sgsuneelgupta@gmail.com,

सारांश

भारत गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद अग्रणी देश है। भारतीय संदर्भ में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है, लेकिन वर्तमान भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने गन्ना किसानों के लिए विपरीत महौल पैदा किया है। एक ओर जहाँ पर्यावरण के बदलते स्वरूप से सिंचाई एवं मृदा उर्वरता का खतरा बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर किसान विरोधी नीतियों से समाज में असंतोष भी पनपा है। प्रस्तुत अध्ययन कृषक समाज में विचलन स्थापित करने वाले कारकों की खोज कर उनसे बचाव हेतु व्यावहारिक एवं पर्यावरण के अनुकूल सुझाव प्रस्तुत करता है, जिसमें वर्तमान वैष्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो रहे कृषक–हितों, सहकारी समितियों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। राज्य की विघटनकारी नीतियों तथा कुछ औद्योगिक घरानों तक पूँजी के सीमितीकरण ने ग्रामीण सामाजिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने हेतु जनसहभागिता का मार्ग अपनाना होगा।

मुख्य शब्दः *किसान आन्दोलन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सहकारी समिति, सत्ता, उर्वरता।*

प्रस्तावना

भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना परिवार, जाति एवं संस्तरण के रूप में देखी जा सकती है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की खाद्य सुरक्षा एवं पोषण आवष्यकताओं की पूर्ति का भार किसानों के कन्धों पर है। हरित क्रान्ति के बाद भारतीय किसानों ने जो उपज बढ़ाई उसका परिणाम यह है, कि भारत कई कषिगत उत्पादनों में श्रेष्ठतम ऊँचाइयों को छू रहा है, लेकिन गन्ना किसानों की दषा उसके विपरीत है, जो निरन्तर खराब होती जा रही है। हमारी कषि व्यवस्था परिवार पर आश्रित है, क्योंकि खेत, परिवार के पोषण का साझा आधार होने के साथ ही सामूहिक जिम्मेदारी भी हैं। यही कारण है कि भारत में खेती आय से अधि

ाक किसान के स्वाभिमान का आधार है। उत्तर भारत में कृषक जातियाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय समूह के रूप में उभरी हैं, यहां जातियाँ प्रभुत्व का आधार हो सकती है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन जाट जाति के आसपास घूमता है, पिछड़ा आन्दोलन यादव जाति एवं दलित आन्दोलन जाटव जाति के इर्द–गिर्द घूमता दिखाई पड़ता है। जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र में जाति राजनैतिक प्रभुत्व का आधार नहीं है, यहाँ प्रभुता एवं जाति को अलग करके देखने की जरूरत है; यहां राजनीतिक वर्ग की तुलना में प्रभुत्व समूह बोल सकते हैं (1974/2007: 50)। भारत में कृषक आन्दोलनों का विश्लेषण करते हुए डी0 एन0 धनागरे (1983) कहते हैं कि यह सत्य है कि भारत में कृषक आन्दोलनों के सफल होने से ज्यादा उन्हें कुचला गया है, इसलिए उनसे कोई ऐतिहासिक सबक नहीं मिलता है। यह बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखने को मिलती है, जब सरकार किसानों के हितों को नजरंदाज करते हुए कुछ औद्योगिक समूहों के हितों को अधिक महत्व दे रही है।

हमारे देश का गन्ना किसान विदेष से विदेशी मुद्रा दिलाता है, लोगों के जीवन में मिठास घोलता है। ऐसे गन्ना किसानों के जीवन में मिठास है अथवा कड़वाहट की कोई कसक है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जबकि किसान लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यह सत्य है कि आजकल खेती लाभ का जरिया नहीं रह गया है, क्योंकि बढ़ते लागत मूल्य एवं प्राकृतिक संसाधनों (मृदा उर्वरता एवं भूजल) के क्षरण के दौर में सरकार की अनदेखी किसानों के जीवन पर भारी पड़ रही है। उत्तर भारत में धान, गेंहू एवं गन्ना जैसी फसलों के लगातार उत्पादन से अनेक तरह की कृषि सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न होने लगी हैं– जैसे मृदा संरचना का क्षरण, पोषक तत्वों में कमी होना, कीड़े एवं खर–पतवार का बढ़ना, उर्वरता में कमी, उत्पादकता में कमी एवं कुल मिलाकर लाभांश में कमी आदि (Kumar 2018a:35)। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याएं दिनों–दिन बढ़ रही हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य इस बात की समीक्षा करना है कि किस प्रकार राज्य व सामाजिक संरचना समाज में गैरबराबरी स्थापित करता है, जो किसानों के विरूद्ध एक षडयन्त्र का रूप लेती जा रही है। इस बात पर भी समझ विकसित करना कि किस प्रकार गन्ना किसानों की समस्याओं को नजरंदाज करके उनको अपने खेतों से दूर किया जा रहा है।

गन्ना उत्पादन की स्थिति

गन्ना उत्पादन में भारत, ब्राजील के बाद दूसरा स्थान रखता है। गन्ना भारत की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। गन्ने से चीनी बनाने का कार्य सम्पूर्ण विश्व में प्रमुखता से होता ही है, इसके साथ ही अब कुछ सहउत्पाद जैसे, गुड, खाड़सारी, सिरका, एथनॉल, दफ्ती, बोर्ड, एवं कागज तथा गन्ने की अपशिष्ट से खाद आदि प्रमुख हैं। गन्ने के सभी भाग किसी न किसी रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। भारत में गन्ना एक व्यावसायिक खेती का रूप ले चुका है, जिसकी वर्तमान उत्पादकता दर 70.7 टन/हेक्टेअर है (Shukla et. al. 2017; ICAR 2017)। गन्ना उत्पादन

की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम एवं उसके बाद महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों का स्थान आता है, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से तमिलनाडु (105 टन/हे0) प्रथम स्थान पर है। भारत में दो तरह की जलवायु क्षेत्र में गन्ना उत्पादन होता है– उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में उत्पादकता दर अधिक एवं उपोष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में कम होती है। उत्तर प्रदेश कम उत्पादकता वाले उपोष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में आता है। भारत में गन्ना उत्पादन सन् 1930–31 में 30.9 टन/हे0 से बढ़कर सन् 2015–16 में 70.7 टन/हे0 हो गया है। इस दौरान कुल उत्पादन 36.354 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 348.448 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुंच गया है (ICAR 2016)।

भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन (ISMA) की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, जिसका क्षेत्रफल वर्ष 2017–18 (23.30 लाख हेक्टेअर) की तुलना में वर्ष 2018–19 में बढ़कर अधिक (23.40 लाख हेक्टेअर) हो गया है। एसोसिऐशन का अनुमान है कि वर्ष 2018–19 में क्षेत्रफल अधिक होने एवं गन्ने की उच्च उत्पादक प्रजाति (Co0238) के कारण अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है (*Bhosale 2018*)। ऐसोसिऐषन का यह भी अनुमान है, कि इस दौरान उत्तर प्रदेश में पूर्व की तुलना में 10–15 लाख टन अधिक शक्कर का उत्पादन होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को गन्ने के बजाय सब्जी आदि अन्य नकदी फसलों को उगाने की सलाह दे रही है (Ahmad 2018)।

सहकारी समितियाँ

उत्तर प्रदेश में 169 गन्ना विकास सहकारी समितियाँ एवं 28 सहकारी चीनी मिल पंजीकृत एवं क्रियाशील हैं। इन समितियों के साथ 48.84 लाख किसान पंजीकृत हैं।

सहकारी समितियों का ढ़ाँचा

स्रोतः http://upcane.gov.in

सहकारी समितियों की भूमिका

उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास सहकारी समितियाँ निम्न भूमिका निभाती हैं :–

1. सदस्य गन्ना किसानों के गन्ने का सर्वे, सट्टा, अतिरिक्त सट्टा, एवं पर्ची वितरण कराने, फसल कटने के बाद उसकी आपूर्ति चीनी मिलों को कराने के साथ उचित एवं समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में सहकारी समितियाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

2. यह सहकारी समितियाँ किसानों एवं चीनी मिल प्रबन्धन के बीच सेतु का काम करती हैं।

3. गन्ना किसानों को गन्ने की वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक कर माँग–पूर्ति के बीच समन्वय स्थापित करना। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कराए गये अनुसंधान एवं अन्य योजनाओं से अवगत कराना आदि।

4. उन्नति प्रजाति के बीज, उर्वरक, कीटनाशकों की उपलब्धता एवं उन्नत तकनीकियों को अपनाने, एवं निवेश हेतु नाबार्ड से अनुदान दिलाने में सहयोग करना।

5. गन्ना किसानों को समिति का सदस्य बनाना एवं उन्हें समिति की कार्यप्रणाली, एवं लाभ से अवगत कराना।

6. समय–समय पर यह समितियाँ गन्ना किसानों के हितों हेतु कृषक आन्दोलन में भूमिका निभाने के साथ सरकार से भी लोहा लेती हैं।

कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी

आजकल खेतों में जुताई, बुवाई, निराई, सिंचाई, फसल की कटाई एवं उनके भण्डारण तक की उन्नत तकनीक विकसित की जा चुकी है। गेहूँ, धान के अतिरिक्त गन्ना के लिए भी हॉर्वेस्टर बाजार में उपलब्ध हो चुका है। तकनीकी विकास के साथ–साथ इण्टरनेट, इलेक्ट्रानिक मीडिया ने किसानों को नये बाजार से जोड़ने का कार्य किया है, जिससे युवा एवं जागरूक किसानों के लिए उन्नत खेती एवं उचित लाभांश का अवसर मिला हैं। सरकार द्वारा दूरदर्शन पर कृषि से जुड़ी नवीन जानकारियों, फसल एवं पशुपालन से जुड़ी समस्याओं के समाधान सीधे कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाते हैं। वर्तमान में सरकार एस.एम.एस. के माध्यम से किसानों को मौसम एवं कृषि में होने वाले बदलावों एवं खतरों से अवगत करा रहे हैं। इण्टरनेट आज गाँव तक पहुंच चुका है, जिससे किसान घर बैठे सरकारी योजनाओं, कृषि सम्बन्धी राय किसी भी समय ले सकते हैं। लेकिन उससे दूसरे खतरे भी पैदा हो रहे हैं। मोबाइल टॉवरों के विकिरण से पक्षियों को एवं मधुमक्खियों को दिशा भ्रम हो जाता है। पक्षी असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, जिससे कीटपतंगों की संख्या बढ़ती है और उनके समापन हेतु पुनः धन एवं पर्यावरण का नुकसान होता है।

गन्ना किसानों की समस्याएं

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याएं अन्य प्रान्तों से अधिक विकट होती जा रही हैं, क्योंकि यहां के चीनी मिल सरकार से आर्थिक मदद लेने के बावजूद उनका बकाया गन्ना मूल्य

नहीं चुकाते हैं। ऐसी स्थितियों में किसान एक ओर लागत के कर्ज से दबा रहता है, तो दूसरी ओर उसे बाजार में फसल बिक्री के सीमित अवसरों के कारण वह दूसरी नकदी फसलें उगाने से बचता है। विद्वानों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं के लिए उन देषों की नीतियाँ भी जिम्मेदार हैं– जहाँ एक ओर विकसित देश कृषि क्षेत्र को संरक्षित कर रहे हैं, उपज को बढ़ाकर विश्व व्यापार में फसलों की कीमत वृद्धि एवं विसंगति (मंदी) उत्पन्न करते हैं, वहीं vf/kdka'k fodkl 'khy nsk viuh df"k Oo;oLFkk dks Lo; av l jf{kr dj jgs gS (Bautista and Valdes 1989; Rao 2001:3454)। स्टिग्लर (1968) जैसे विद्वानों का मानना है कि किसानों को अपने उत्पादों की कीमत पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, जबकि अन्य हजारों (गैरकृषि) उत्पादों में ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों के विचार इससे भिन्न हैं, वे कहते हैं, कि वास्तविकता में किसान अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग अर्थव्यवस्था के बाहर समाज में करते हुए अपने उत्पादों की कीमत तय करते हैं एवं उसके भुगतान में सुधार करते हैं (Etzioni Amitai 2007:625)। महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक किसान अपनी समितियों के माध्यम से न केवल अपनी फसलों के उचित मूल्य के लिए देशव्यापी हड़ताल के लिए जाने जाते हैं। वह प्रदेश की राजनीति में भी अच्छी दखल रखते हैं। उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में देखें तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान राजनीतिक रूप से एकजुट एवं सक्रिय हैं एवं स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी कायम रखे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में एवं अन्य उत्पादों के मामले में किसानों में एकता कम दिखाई देती है।

भारतीय किसानों की अनेक समस्याएं हैं, जिनमें से खेती से जुड़े लोगों को आमदनी/लाभांश में गिरावट आदि प्रमुख समस्या है। अनिल कुमार ने जनपद श्रावस्ती के संसाधन विहीन किसानों पर किये गये अध्ययन के आधार पर कृषि क्षेत्र में लाभांश को कम करने वाले 6 कारणों की पहचान की है : 1) बिखरी हुई एवं छोटे आकार की कृषि जोत, 2) मृदा की धारणीयता में कमी, 3) लागत मूल्य में वृद्धि, 4) कम फसल सघनता, 5) कमजोर प्रसार सेवाएं एवं बाजार से सम्पर्क की कमी, एवं 6) बीजों की कम गुणवत्ता आदि (Kumar 2018a:34-35)।

कुछ विद्वानों का मानना है कि खाद्यान्न क्षेत्र में उपभोक्ताओं तक माल पहुँचाने एवं बाजार तक निर्यात करने में निजी क्षेत्र को स्वतंत्र कर देना चाहिए, जिससे उसके भण्डारण, रखरखाव एवं भाड़े पर होने वाले सरकारी भार की कमी होगी (Rao 2001:3457)। लेकिन हमारे देश के कुछ बड़े औद्योगिक घरानों की कार्यशैली से पता चलता है, कि उनकी नीतियाँ जनविरोधी है, जिससे सीमान्त एवं लघु किसानों के साथ मध्यम जोत वाले किसानों का जीवन संकट में होता जा रहा है। चटर्जी एवं कपूर (2017) ने भारतीय कृषि व्यवस्था की समस्याओं को ऐसी गुत्थी/पजल्स के रूप में माना है, जिसे सुलझाया जाना बाकी है। उन्होंने अपने लेख 'भारतीय कृषि में छः पजल्स' में भारतीय कृषि के सापेक्ष छः पजल्स के बारे में बताया है, जिन्हे सुलझाए बिना भारतीय कृषि की चुनौतियों को दूर नहीं किया जा सकता है।

1. कीमत उतार–चढ़ाव का पजल (The Price Variation Puzzle)
2. लागत–प्रबन्धन पजल (The Procurement Puzzle)

3. राजनीतिक आर्थिकी पजल (Political Economy Puzzles)

4. व्यापार पजलः निर्यात संसाधनों की कमी (The Trade Puzzle: Exporting Scarce Resources)

5. उत्पादकता अन्तर पजल (The Productivity Gap Puzzle)

6. निकासी पजल (The Exit Puzzle)

भारतीय किसानों को आर्थिक समस्याओं के साथ ही सामाजिक समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ता हैं। यदि इन समस्याओं के मूल में जाने की को कोशिश करें तो पता चलता है कि यहाँ संसाधनों के अभाव से नहीं अपितु संसाधनों का असमान वितरण है। एक अध्ययन में अनिल कुमार (2018b) ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है, कि अनियोजित एवं संस्तरणीय औद्योगीकरण के कारण भारतीय पारम्परिक सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में अक्षम दिखाई दे रही है। अधिकांश मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति एवं कृषि पर निर्भर है, लेकिन भारतीय समाज के संस्तरणीय औद्योगिक विकास की नीतियों से पनपी पूंजीगत केन्द्रीयकरण की व्यवस्था ने कुछ बड़े शहरों को महिलाओं के लिए कत्लगाह बना दिया है। नोटबन्दी ने समाज में गैरबराबरी एवं आत्महत्या की दर को बढ़ाने का कार्य किया है। अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाये गये तो यह गैरबराबरी एवं किसान विरोधी नीतियां उत्तर भारत में किसानों की कब्रगाह बन जायेंगी।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरक्त गन्ना किसानों की कुछ विशिष्ट समस्याएं भी हैं :–

1. गन्ना किसानों के लिए गन्ना माफिया समस्या बने हुए हैं, वह स्वयं गन्ना पर्ची बनवाकर रख लेते हैं और गन्ना किसानों को समय पर पर्ची नहीं मिलने से फसल को नुकसान होता है।

2. श्रमिकों की उपलब्धता का अभाव, क्योंकि युवाओं के शहरों की ओर पलायन के कारण श्रम संकट बढ़ गया है।

3. घटतौली– कई बार देखने में आता है कि चीनी मिलों के काँटा पर गन्ने की तौल सभी नहीं की जाती, फलस्वरूप अधिक वजन को कम दिखाया जाता है।

4. उन्नति प्रजाति के बीजों की आपूर्ति के अभाव में पुराने बीज बोने से उत्पादकता में कमी आती है, जिससे किसानों को लागत के सापेक्ष कम लाभांश मिलता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आज देष में गन्ना किसानों का उनके उत्पाद का समय से भुगतान नहीं हो पाता, उसे विवश होकर कम दामों पर गन्ने को कोल्हू/क्रेशर पर बेचना पड़ता है। अपने उत्पाद के उचित मूल्य के लिए उसे सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकार की लाठियाँ खाने से लेकर उसे मजबूरन आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने होते हैं। जीवन तथा अपने उत्पाद की यह अनिश्चितता उसे संगठित होकर अपने अधिकार व उपयुक्त मूल्य को प्राप्त करने के लिए शासन व सत्ता के विरूद्ध आन्दोलन व संघर्ष करने को बाध्य करती है। सहकारी समितियों के बढ़ते प्रभाव से गन्ना किसानों की समस्याओं के निस्तारण हेतु सरकार के साथ चीनी मिलों के प्रबन्ध तंत्र की सोच में भी बदलाव

आएगा। यद्यपि चीनी मिलों की अपनी समस्याएँ हैं, किन्तु गन्ना किसानों की समस्या समाप्त किए बिना एवं उनको साथ लिए बिना समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। गन्ना समितियों के प्रयासों एवं कृषक राजनीति के प्रभाव से गन्ना किसानों का संगठित स्वरूप, ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित व निर्मित कर रहा है। यहां तक कि राज्य की सत्ता व सरकारें भी इससे प्रभावित व परिवर्तित होती देखी जा सकती हैं।

उत्तर भारत में गन्ना किसानों को लागत एवं मेहनत के सापेक्ष लाभांश कम मिलता है। सरकार की नीतियों का लाभ किसानों तक कम पहुँच पाता है, एक ओर किसानों को पषुपालन से होने वाली आय लगभग नगण्य हो गयी है, और दूसरी ओर आवारा पशुओं से फसलों का नुकसान भी हो रहा है। किसानों की कृषि–वैज्ञानिकों तक पहुँच नहीं बन पा रही है, क्योंकि विशेषज्ञों की कमी एवं उनकी गांव से दूरी इसका प्रमुख कारण हैं। अतः किसानों तक नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्न कदम उठाये जा सकते हैं :–

- गन्ना किसानों को मिश्रित खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनके लाभांश में बढ़ोत्तरी के साथ मृदा उर्वरता बनी रहेगी।
- खाद्य एवं पोषण से जुड़ी उपज हेतु किसानों को समय पर उचित मूल्य स्थानीय बाजार में मुहैया कराया जाए।
- गन्ना किसानों को उचित मूल्य एवं समय पर भुगतान सुनिष्चित कराया जाए। गन्ना किसानों की कोऑपरेटिव समितियों को सक्षम, पारदर्शी एवं बहुआयामी बनाया जाए, जिससे किसान गन्ने की फसल के अतिरिक्त अन्य आय के स्रोतों को समितियों के माध्यम से विकसित कर सकें।
- कृषिगत सामान के लाने ले जाने एवं सिंचाई हेतु किसानों से डीजल में टैक्स न लिया जाए। उस टैक्स छूट में पारदर्शिता लाने के लिए रसोई गैस सब्सिडी की भाँति एक कारगर योजना बनाने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं में भेदभावरहित पाठ्क्रम, समान एवं गुणवत्तापूर्ण षिक्षा सुनिश्चित की जाए तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को गाँव में रूकने हेतु उचित वातावरण सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जब तक चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में रूकेंगे नही तब तक वह गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ कैसे दे सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Ahmad Quazi Faraz (2018) Sugarcane Leads to Diabetes, Grow Something Else: CM Yogi Adityanath to UP Farmers, News 18, September 12, https:// www.news18.com.
2. Bautista, Romeo M and Alberto Valdes (1989): *The Bias against Agriculture: Trade and Macroeconomic Policies in Developing Countries*, California, ICS Press.

3. Bhosale Jayashree (2018). India's 2018-19 Sugar Production to be up by 8.6% to 10.2%, says Indian Sugar Mills Association (ISMA), The Economic Times, July 16. https://economictimes.indiatimes.com
4. Carter Anthony T. (1974/2007) *Elite Politics in Rural India: Political stratification and political alliances in Western Maharashtra,* Cambridge University Press. (Giga Rural Sociology).
5. Chatterjee Shoumitro and Kapur Devesh (2017) *Six Puzzles in Indian Agriculture*, India Policy Forum 2016-17, pp- 185-210.
6. Dhanagare D. N. (1983) *Peasant Movements in India*, 1920-1950, New Delhi, Oxford University Press.
7. Etzioni Amitai (2007) *Community and Economy*, (eds George Ritzer 2007, Blackwell Encyclopedia of Sociology, Willy Blackwell.
8. Govertnment of India (2016) *State of Indian Agriculture 2015-16*, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Directorate of Economics and Statistics, New Delhi.
9. ICAR (2017) *Sugarcane Statistics, Sugarcane Breeding Institute*, Coimbatore https://sugarcane.icar.gov.in.
10. Kumar Anil (2018a) *Challenges in Adopting Modern Farming Practices by Resource Poor Farmers: A Case of Eastern Uttar Pradesh*, The Eastern Anthropologist, Vol. 71, Nos. 1-2.
11. Rao C H Hanumantha (2001) *WTO and Viability of Indian Agriculture*, EPW, Vol. 36, No. 36, pp- 3453-57.
12. Shukla, S.K.; Sharma, Lalan; Awasthi, S.K.; Pathak, A.D. (2017), Sugarcane in India: Package of Practices for Different Agro-climatic Zones, Lucknow, Indian Institute of Sugarcane Research, pp1-64.
13. Stigler, G. (1968) *Competition*, International Encyclopedia of Social Science, Vol. 3. Macmillan, New York.
14. Vikas B Abnave and Babu M Devendra (2017) *State Intervention: A Gift or Threat to India's Sugarcane Sector?* Working Paper 385, The Institute for Social and Economic Change, Bangalore.
15. Govt. of Uttar Pradesh: Sugarcane Development Cooperative Societies, Uttar Pradesh, India, http://upcane.gov.in/StaticPages/SDCSAbout.aspx
16. कुमार, अनिल (2018b) *महिलाओं के विरूद्ध अपराध : भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रभावों का विश्लेषण,* शोध मंथन, अंक–09, सं0–1, पृष्ठ **35–45**।